उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mining Appeal Case No.-213/2023

राजू अग्रवाल

–बनाम–

राज्य (जिला खनन पदाधिकारी)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/05/2024	प्रस्तुत मामला राजू अग्रवाल, पिता–कन्हैया लाल अग्रवाल, मेसर्स त्रिवेणी फयूल्स, 15 माईल, इन्दरा, पो0–जरबा, थाना–चरही,जिला–हजारीबाग द्वारा Bihar Mines & Mineral Act, 1885 under section 60 के अन्तर्गत दाखिल अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा 15 माईल में एक हार्ड कोक फैक्ट्री का संचालन किया जाता है। दिनांक 21.09.2022 को एक लिखित रिर्पोट के आधार पर चरही थाना कांड संख्या–65/दर्ज किया गया। यह चरही थाना का मामला धारा 379, 414,34 आईपीसी और धारा 4,21 (5) MMRD 1957 के धारा 9,13 झारखण्ड खनिज अवैध खनन परिवहन और भंडारण रोकथाम नियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था। तदोपरान्त उपरोक्त थाना कांड के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग ने अपीलकर्त्ता की कोक फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तदोपरान्त अपीलार्थी ने जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के उक्त कार्रवाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में W.P(C) No.549/2022 दाखिल किया जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा मामले में वैकल्पिक पहल करने हेतु आदेश दिया गया। तदनुसार अपीलकर्त्ता निम्नलिखित आधारों के साथ–साथ उपरोक्त सीलबंद कारखाने को खोलने के लिए वर्तमान अपील दायर किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा लगाये गये सभी आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। इसके लिए बिना किसी कारण के अपीलकर्त्ता की हार्ड कोक फैक्ट्री को सील कर दिया गया है जो कानून के स्थापित सिद्धांत के खिलाफ है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संo और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी का कहना है कि मेसर्स त्रिवेणी फ्यूल्स के प्रोपराइटर राजू अग्रवाल ने फैक्ट्री में जमा किये गये कोयले से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे ई–चालान एवं अन्य संबंधित दस्तावेज जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिये गये हैं। परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों के बावजूद जिला खनन पदाधिकारी ने फैक्ट्री को सील कर दिया।

अपीलार्थी का अग्र कथन है कि जप्ती सूची में याचिकाकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं दिखाए गये हैं, जिससे पूरी जप्ती अवैध और कानून के सिद्धांत के विरूद्ध है। अपीलार्थी का कहना है कि फैक्ट्री मालिक एवं पार्टनर ने कोयले के भंडारण में कोई अवैधता नहीं की है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न तथ्य अंकित पाये गये।

दिनांक 21.09.2022 को हजारीबाग जिलान्तर्गत चरही थाना के 15 माईल, पो0–जरबा के प्लॉट संख्या–1100, खाता संख्या–1174 में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J030720312 के प्रसंस्करण स्थल की जांच श्री संदीप भगत, पुलिस उपाधीक्षक (प्रषासन), पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग एवं श्री सुनील कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

जांच के क्रम में उक्त स्थल पर स्थापित कोयला प्रसंस्करण संयत्र (हार्ड कोक भट्ठा) संचालित पाया गया था। भट्ठा स्थल पर मुंषी श्री हनुमान सिंह, पिता–गुप्तेष्वर सिंह, ग्राम–भरेच नगर, सांडी, जिला–रामगढ़ उपस्थित थे। स्थल पर लगभग 187 टन हार्ड कोक एवं 71 टन कोयला उपलब्ध पाया गया। मुंषी श्री हनुमान सिंह से पुछताछ करने पर बताया गया कि उपरोक्त भट्टा के संचालकों द्वारा धनबाद एवं हजारीबाग जिले के विभिन्न व्यक्तियों एवं अवैधकर्त्ताओं से कोयला क्रय कर भट्ठा का संचालन किया जाता है। स्थल पर उपलब्ध कोयला एवं पूर्व में क्रय किये गये कोयले, विक्रय किये गये हार्ड कोक आदि का ई–चालान एवं स्टॉक पंजी आदि की मांग करने पर उनके द्वारा कम्प्यूटराईज्ड रजिस्टर उपलब्ध कराया गया, जिसमें अप्रैल, 2022 से सितम्बर 2022 तक कोयले की खरीदगी, हार्ड कोक की बिक्री का ब्यौरा अंकित है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उनके द्वारा कोयला क्रय/परिवहन से संबंधित कोई ई–चालान नहीं दिखाया गया।

मुंषी श्री हनुमान सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटराईज्ड रजिस्टर निम्न प्रकार हैं:–

1. Purchase Register- Page no 01 to 06 (Annexure –A)
2. Hard Coke Monthly/Daily Summery- Page no 07 to 13 (Annexure –B)
3. Sales Register –Page no 14 to 19 (Annexure –C)
4. Coal Monthly/Daily Summery- page no 20 to 26 (Annexure –D)

मुंषी श्री हनुमान सिंह से कोयला खरीदगी से संबंधित अन्य दस्तावेज की मांग किये जाने पर उनके द्वारा एक 80 पन्नों का कोयला एवं अन्य सामानों की खरीदगी से संबंधित रजिस्टर उपलब्ध कराया गया, जिसे (Annexure –E) अंकित किया गया है।

मुंषी श्री हनुमान सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटराईज्ड रजिस्टर में अंकित कोयला खरीदगी, हार्ड कोक बिक्री एवं कोयला तथा हार्ड कोक के अंतिम मासिक स्टॉक का मिलान JIMMS Portal पर भट्ठा संचालकों द्वारा दाखिल किये गये आनलाईन मासिक विवरणी से की गई, जो भिन्न पाया गया। माह अप्रैल, 2022 से अगस्त, 2022 तक दाखिल सभी मासिक विवरणी के अनुसार उक्त भट्ठा स्थल पर कोयले की क्रय मात्रा, प्रारंभिक स्टॉक की मात्रा, बिक्री मात्रा एवं अंतिम स्टॉक शून्य दिखाया गया है।

इससे स्पष्ट है कि भट्ठा संचालकों द्वारा गलत मासिक विवरणी (Monthly Return) दाखिल कर कार्यालय को गुमराह करते हुए डीलर्स निबंधन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। मुंषी श्री हनुमान सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये 80 पन्नों के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 05 से 10 में कुल 52 वाहनों द्वारा कोयला धनबाद एवं हजारीबाग से भट्ठा परिसर में लाया गया है। उक्त रजिस्टर में अंकित कोयला लाये गये वाहनों की संख्या कम्प्यूटराईज्ड रजिस्टर के एनेक्सचर ए एवं एनेक्चर डी से भिन्न पाया गया। इससे स्पष्ट है कि भट्ठा संचालकों द्वारा क्रय किये गये कोयला से संबंधित भिन्न–भिन्न प्रकार का आंकड़ा रखा गया है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

एनेक्चर ए एवं एनेक्चर इ में वर्णित रजिस्टर में अंकित गाडी संख्या जिसका उपयोग कोयला क्रय करने में किया गया है। उसका सत्यापन JIMMS Portal से किया गया और पाया गया कि उक्त वाहनों के बावत कोयले का ई चालान निर्गत नहीं किया गया है।

मुंशी श्री हनुमान सिंह द्वारा क्रय/उपयोग किये गये कोयले का The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 9 के आलोक में वर्णित परिवहन चालान नहीं दिखाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भट्ठा संचालकों द्वारा उपरोक्त नियमों एवं डीलर्स निबंधन शर्तों की अवहेलना करते हुए भट्ठा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अवैध कोयले का उपयोग किया गया है। जिससे खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पति की चोरी हुई है। तत्काल मुंषी श्री हनुमान सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेज एवं स्थल पर उपलब्ध 71.110 टन कोयले को दो गवाहों के समक्ष जप्त करते हुए स्थल पर उपलब्ध कोयले को सुरक्षित जिम्मेनामा में मुंषी श्री हनुमान सिंह को दिया गया।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 8 (iii) के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए क्रय/उपयोग किये गये कोयले का ई–चालान एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु भ्टठा संचालक को कार्यालय पत्रांक 1191 दिनांक 21.09.2022 के द्वारा पत्र दिया गया। 20 दिनों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी भट्ठा संचालकों द्वारा क्रय/उपयोग/परिवहन किये गये कोयले का ई–चालान एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि भट्ठा संचालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं है तथा उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। डीलर लाइसेंस प्राप्त करने के ऐसी स्थिति में दिनांक 11.10.2022 को मेसर्स त्रिवेणी फ्यूल्स के पक्ष में स्वीकृत डीलर्स निबंधन संख्या J030720312 डीलर आई डी0 संख्या 037203123001 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कार्यालय ज्ञापांक 1309 दिनांक 11.10.22

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

द्वारा भट्ठा संचालकों को सूचित करते हुए हस्तगत कराया गया।

Coal Monthly Summery के अवलोकन से स्पष्ट है कि भ्टठा के संचालकों द्वारा अप्रैल 2022 से 21.09.2022 तक कुल 1789.63 टन कोयले का बिना ई–परिवहन चालान के अवैध रूप से क्रय/परिवहन किया गया है, जिसका मूल्य 1,99,90,805/–रूपया प्रदर्षित है। इसके अतिरिक्त जप्त 80 पन्नों का रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार 52 ट्रक कोयला अवैध रूप से क्रय किया गया है, जिसमें खरीदगी कोयले की मात्रा अंकित नहीं है। इस प्रकार भट्ठा संचालकों द्वारा खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी सम्पति की चोरी की जा रही है तथा भट्ठा संचालकों द्वारा दिये गये शपथ पत्र के क्रम संख्या 03 पर उल्लेखित शपथ का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 8(iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीलर्स निबंधन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:–

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने कोयले के श्रोत के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं ने जी0 एस0 टी0 टैक्स In voice के माध्यम से निम्न प्रकार से कोयले की खरीदगी जाँच की अवधि में की गयी है:–

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	जी0 एस0 टी0 नम्बर	मात्रा (टन में)
1	Lucky Coal & Coke Traders	20ALNPK5019K3Z3	709.00
2	Vasudeva Fules & Line	19AABCL4406D1ZV	746.00
3	Ayesh Coal Trading Pvt. Ltd.	19ACDPA0422F1ZD	212.00
4	Narayani EnterpriseS	19BVPKPS7630G1Z2	102.00

उपायुक्त की न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी का यह तर्क है कि जी0एस0टी0 टैक्स नेटवर्क में आपूतिकर्त्ता के मूल श्रोत के संबंध में सूचनाएं अंकित होती है, जिसे संबंधित विभाग से पता लगाने का प्रयास नहीं किया गया है।

उभय पक्षों को विस्तार से सुनने के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि इस मामले में राहत हेतु उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में W.P.(C) No. 549/2022 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से इस मामले में उन्हें वैकल्पिक पहल करने का आदेष के साथ निस्तारित किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर चूंकि इस मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान में कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके फर्म को सीलबन्द रखने पर नैसर्गिक न्याय के तहत उन्हें अत्यन्त आर्थिक क्षति हो जाएगी। अतः उनपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के आदेष ज्ञापांक 1309 दिनांक 11.10.2022 द्वारा किये गये निलंबन एवं फर्म को किये गये सील पर पुनः निम्न कार्रवाई के साथ पुनर्विचार करने के लिए जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग को निर्देष देने हेतु अनुरोध किया गया:—

1. डीलर्स निबंधन क्षेत्र पर वर्त्तमान में उपलब्ध 71.110 टन कोयले खनिज के मूल्य की वसूली जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा कर ली जाय।
2. अगर ऐसा प्रथम दृष्टया समझा जाता हो कि कुल कोयले की मात्रा 1769.630 टन कोयला खनिज अपीलार्थी द्वारा बिना e-transport challan के की गई है, तो जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पुनः समीक्षोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि वर्त्तमान में यह मामला चरही थाना काण्ड संख्या 65/2022, दिनांक 13.10.2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3. चरही थाना काण्ड संख्या 65/2022, दिनांक 13.10.2022 में अपीलार्थी पार्टनरषीप फर्म के पार्टनर (1) राजू अग्रवाल एवं (2) सतीश कुमार को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर डीलर्स निबंधन संख्या J030720312 वर्ष 2022 को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाएगा तथा माननीय न्यायालय से प्राप्त न्यायादेष में अंकित तथ्यों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है।
4. अपीलार्थी को यह औपबंधिक राहत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के समरूप मामले (W.P.C. No. 4104/2008 सर्वश्री सिक्लेयर स्टील्स बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में पारित आदेष दिनांक 26.08.2008 में प्राथमिकी दर्ज होने एवं सजायाफ्ता होने में फर्क एवं झारखण्ड मिनरल्स रूल्स 2017 के नियम 3(C) में वांछित षपथ पत्र के आलोक में देने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः अपीलार्थी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपनी ओर से रखे गये उक्त पक्ष/अनुरोध के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग को निर्देष दिया जाता है कि इस मामले में पुनः विस्तृत समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिष्चित किया जाएगा।

इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संषोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.05.30 14:49:04 +05:30
Location: 192.168.1.42